7/6/23

वादी अधिवक्ता के तर्क-वाद पर प्रतिवादी आज पेश हुए। वादी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि इस पक्षकारान के मध्य वाद के मौखिक साक्ष्य द्वारा समझौता होने की प्रकरण का कथन मानकर नहीं करते की कृपा: प्रकरण इसी स्तर पर निष्पादित किया जावे। प्रार्थना पत्र वादी का पढ़कर सुनाया। सुनकर समझकर सही होना स्वीकार किया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता मा० ने करके करा दी गयी। दावा राजीनामे पर निष्पादित किया जाता है प्रकरण नस्ती से कम किया जाकर वाद नस्तीलं कमीलं प्रकरण।

मंगलसिंह